न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/416

दुर्गालाल पुत्र श्री गंगाराम जाति माली निवासी ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 1641 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1334 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि दिनांक 14.10.1977 को अप्रार्थी दुर्गालाल आत्मज गंगाराम जाति माली निवासी रोणिजा को राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्य सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत आवंटित की गई । आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नहीं करवायी गई है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है । अतः अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.07.2015 के द्वारा अप्रार्थी दुर्गालाल के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी का आवंटन, आवंटन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया गया है । आवंटन के पश्चात् आवंटी को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 11.07.1984 से गैर खातेदार दर्ज किया गया था । गैर खातेदारी में त्रुटिवश खसरा नम्बर 1344 दर्ज कर रिकॉर्ड में 1933/1344 अंकित कर दी गई । वास्तव में अपीलान्ट आवंटित भूमि 1933/1334 पर काबिज काश्त है जिसके बाबत् रिपोर्ट पटवारी नहीं ली गई । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व आवंटी को नोटिस की तामील नियमानुसार नहीं करवायी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया है। पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 1933/1344 पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना अंकित किया है । वास्तव में अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1334 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा आवंटित की गई थी जिसके बाबत् पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है, सीपीसी की पालना नहीं की गई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.06.2018 को पटवारी हल्का के पास के0सी0सी0 ऋण हेतु नकल लेने जाने पर पटवारी हल्का ने उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि आवंटी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है, किश्त मय ब्याज जमा नहीं करवायी है, आवंटन शर्तों का उल्लंघन हुआ है । अतः आवंटन निरस्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को तामील किये बिना प्रकरण को लोक अदालत में रखा और अपीलान्ट का आवंटन निरस्त किया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1334 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी परन्तु गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 1344 दर्ज कर 1933/1344 अंकित किया गया है जबकि अपीलान्ट का खसरा नम्बर 1334 पर ही कब्जा है जिसके बाबत् पटवारी की रिपोर्ट नहीं ली गई है । अपीलान्ट को नोटिस की तामील नहीं करवायी गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आवंटन खारिज है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार हिण्डोली द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2015 को पेश कर अपीलान्ट को किया गया आवंटन खसरा नम्बर 1641 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1334 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा निरस्त करने की प्रार्थना की है । प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालयश ने अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तामील हेतु तारीख नियत की गई इसके उपरान्त इसे दिनांक 28.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत का नोटिस प्रभूलाल सैनी अपीलान्ट के पुत्र को दिया जाना अंकित है ।

11. पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र श्योजी, बंशीलाल, सुन्दरा आदि का संलग्न है जिसमें यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 1641 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा पर उनका कब्जा है । अतः अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे । एक अन्य प्रार्थना पत्र बंशीलाल, श्योजी का भी पत्रावली पर संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 1935/1344 पर अपना कब्जा बताते हुए आवंटन निरस्त करने की प्रार्थना की गई है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 भी संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1641 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1933/1344 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा आराजी अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–71 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2070 में फसल किया जाना अंकित है । पत्रावली पर एक मौका रिपोर्ट भी संलग्न की गई है । परन्तु अपीलान्ट का कोई जवाब पत्रावली पर संलग्न नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि उनको खसरा नम्बर 1334 की 03 बीघा 01 बिस्वा आराजी आवंटित की गई थी रिकॉर्ड में गलत रूप से खसरा नम्बर 1344 पर गैर खातेदारी अंकित की गई है । अपीलान्ट ने अपील के साथ आवंटन आदेश की फोटो प्रति संलग्न की है जिसमें उनको खसरा नम्बर 1334 की 03 बीघा 01 बिस्वा आराजी का आवंटन किया जाना अंकित है ।

12. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । अपीलान्ट को लोक अदालत का जो नोटिस जारी किया गया है उसमें प्रभूलाल सैनी पुत्र को दिया जाना अंकित किया है परन्तु यह अंकित नहीं है कि यह पुत्र अपीलान्ट के साथ निवास करता है एवं परिवार का सदस्य है । साथ ही आवंटन शर्तों की पालना हुई अथवा नहीं इसके लिए भी यह देखा जाना आवश्यक है कि

आवंटन के तुरन्त की 02 वर्षों में आवंटी के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की थी अथवा नहीं । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज योग्य है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतै हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा